हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019–विभाजन/पुर्नगठनः 61821-825 03 अक्तूबर, ~~सितम्बर~~, 2020

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)2/2019–विभाजन/पुर्नगठनः 55556–564 दिनांक 28.8.2020 के अन्तर्गत, जिला कांगडा की ग्राम सभा रैहन (रैहन खास) के क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त कांगडा को इस सम्बन्ध तें आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एंव सुझावों पर उपायुक्त जिला कांगडा की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला कांगडा की ग्राम सभा रहन (रैहन खास) के क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगडा के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धारा (3–क) के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते है कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्प्रमों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्प्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में शेष बचे ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगें	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड फतेहपुर					
	रैहन (रैहन खास)	1 कदाना 2 भराल 3 रैहन खास 4 रौर 5 तरटियाला	रैहन–II	1 रौर 2 तरटियाला 3 रैहन खास (आंशिक भाग) खसरा नं0 1 से 787 कुल **787**, खसरा नं0 1487 से 1533 कुल **47** **(कुल खसरा नं0 787+47=834)**	1 कदाना 2 भराल 3 रैहन खास (आंशिक भाग) खसरा नं0 788 से 1486 कुल **699**, 1534 से 2222 कुल **689** **(कुल खसरा नं0 699+689=1388**	

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्तः 61821-25 दिनांक 3/10/2020
प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त कांगडा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
3. जिला पचांयत अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला कांगडा, हि0प्र0।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पचांयत जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।

संयुक्त सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।